है पत्रावली दिनांक [illegible] 30/8/14 को पेश हो।

30/8/14 पत्रावली आज पेश हुई। [illegible] प्रार्थी अधिवक्ता अभार्थी सं. 01 का P.F. नोटिस पेश करके पेश होने पर अभी ही अभार्थी सं. 2 से 5 जवाब हेतु समय चाहते है जो दिया जाता है। पत्रावली अगली दिनांक 11.9.19 को वास्ते तलबी जवाब हेतु पेश हो।

11.9.19 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता व अभार्थी अधिवक्ता हाजिर। प्रार्थी अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि प्रार्थी Not Press नहीं चलाना चाहता है उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र को आगे [illegible] 11.9.19 पत्र को नोट बुक में खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया, व प्रार्थी वकील की बहस पर मनन किया, तथ्यों में प्रार्थी अधिवक्ता का कथन स्वीकार कीया जाकर उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र नोट बुक में खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible] नोटिस वापस लेने कम होगा [illegible] हो।

आदेश खुले न्यायालय सुनाया जावे।

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.) सायला